जनहित याचिका की विशेषताएं =

जनहित याचिका चीफ जस्टिस पी० एन० भगवती के कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में आयी भगवती के अनुसार जनहित याचिका के लिए आवश्यक है कि इसका उपयोग सामाजिक हित में हो न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए जिस व्यक्ति का मूल रूप से हित प्रभावित हुआ वह ही जनहित याचिका न्यायालय के समक्ष यही न्याय पालिका के समक्ष करे जरूरी नहीं है।

• पी० एन० भगवती ने जज स्थानान्तरण केस में जनहित जनहित को स्पष्ट किया है।

2 वह किसी राजनीतिक हित में नहीं होना चाहिए सामाजिक हित में होना चाहिए।

3 ऐसा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए उचित प्रशासनिक कार्य में विलम्ब डालने के लिए नहीं होना चाहिए।

जनहित याचिका की विशेषताएं :-

जनहित याचिका व्यक्तिगत मुकदमों से भिन्न है, क्योंकि इसमें उठाया गया मुद्दा किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित न होकर सार्वजनिक हित से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत में पीड़ित व्यक्तिगत वाद करता जबकि कोई भी वाद ला सकता है।

व्यक्तिगत मुकदमों का उद्देश्य अपीलकर्ता को राहत पहुँचाना जबकि जनहित का उद्देश्य व्यापक सार्वजनिक हित है।

व्यक्तिगत मुकदमें स्वयं प्रमाण जुटाना पड़ता है जनहित में न्यायपालिका प्रमाण जुटाने की खुद मदद कर सकती है कमेटी का गठन कर सकती है शासन के किसी अंग को निर्देश दे सकती है

व्यक्तिगत मुकदमों में न्याय पालिका की भूमिका क्रियाशील नहीं होती लेकिन जनहित याचिका में न्यायपालिका किसी मुकदमों का स्वरूप बदल सकती है। इस प्रकार कहते है व्यक्तिगत मुकदमों में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होता है जो जनहित याचिका में अनिवार्य नहीं है।

जनहित याचिका का उद्देश्य है कि न्याय समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। धन के अभाव में या जानकारी के अभाव में कोई वर्ग अछूता न रहे।

न्यायिक सक्रियता की प्रासंगिकता :- P.N. भगवती के अनुसार Article 32 के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका में अपील कर सकता है। लेकिन 32 अनुच्छेद इस बिंदु पर मौन है अतः कोई भी व्यक्ति अपने या दूसरे के मूल अधिकारों के हनन में न्यायपालिका में जनहित याचिका दायर कर सकता है यह जनहित याचिका संवैधानिक अधिकार है।

न्यायिक सक्रियता संविधान की उद्देशिका में स्थापित की न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका विधायिका दोनों के संबंध में उपयोग की जा सकती है। Asiad Village केस में भगवती ने यह स्पष्ट किया संविधान में दिये गये मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन अधिकारों के साथ न्यायपालिका की भूमिका

एक सक्रिय भूमिका है न्यायालय ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण से अपने कुछ फैसलों द्वारा इस प्रकार व्याख्या किया की नीति निर्देशक तत्व मे दिये गये, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, समाहित कर दिया इस प्रकार न्याय पालिका काफी मूल अधिकारों का संरक्षण किया है।

जनहित याचिका की आलोचना :-

जनहित की आलोचना यही है कि व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित मे परिभाषित करना है। न्यायिक सक्रियता, एक सकारात्मक पक्ष नहीं है अन्य दो अंगो, कार्यपालिका, विधायिका की असफलता को प्रकट करता है। न्यायिक सक्रियता, कार्यपालिका, विधायिका आपस में संघर्ष की स्थिति को लाती है जैसे, झारखण्ड विधानसभा के मामले में आरक्षण के मामले में राजनीतिक अवस्था के लिए अच्छा नहीं है न्यायधीशों को एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए।

संसद की बदलती सामाजिक आर्थिक परिवेश :-

लोक के आधार — शासन सरकार की तीनों इकाइयों में सबसे प्रमुख इकाई विधायिका है विधायिका मे राजनीतिक सम्प्रभुता का निवास होता है। यह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संसद व्यापक समाज की छवि प्रस्तुत करता है।

संसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं इसमें प्रतिनिधित्व जनता को प्रस्तुत करते हैं। संसद के बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के बदलते हुए परिवेश का उद्देश्य बदलने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना है।

प्रथम संसद से 14 वीं लोक सभा तक इसकी प्रकृति में व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है प्रथम संसद के अधिकांश प्रतिनिधि उच्च जाति के उच्च वर्ग के शिक्षित लोग थे जिसमें अधिकांश स्वाधीनता संग्राम से जुड़े थे। इन प्रतिनिधियों में आदर्शवादिता थी जो किसी भी नये देश की विशिष्टता होती है। संसद में महत्वपूर्ण वाद-विवाद होता था जिनका स्तर बहुत ऊँचा था प्रथम संसद के अनेक प्रतिनिधियों को विश्व स्तरीय संसदीय नेता माना जा सकता है। आचार संहिता का पालन किया जाता था। महिला का प्रतिनिधित्व लगभग 8%. प्रतिशत था राज्य सभा को अपने परम्परागत द्वितीय सदन के रूप में थी। राज्य सभा में शिक्षित और अनुभवी नेतृत्व विद्यमान था आर्थिक दृष्टिकोण से प्रथम संसद में शहरी उच्च वर्ग खास कर वकील और शिक्षक लोग थे। परम्परागत

पूंजीवाद लोग थे। समाज सुधारक जुड़े लोग थे।

यह प्रवृत्ति उपरोक्त 1960 पृष्ठभूमि में पहला परिवर्तन 60 के दशक में आया 60 के दशक में सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों के प्रभाव के चलते एक नया वर्ग महत्वपूर्ण हुआ ग्रामीण वर्गों उन्नत हरित क्रान्ति के परिणाम स्वरूप मध्य वर्गीय कृषक जातियों का उदय हुआ, मारनर, वीमनर, रुडोल्फ-रुडोल्फ, ने अपने अध्ययनों में मध्य वर्गीय जाति को भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है उनका उल्लेख किया।

अतः संसद में ग्रामीण प्रतिनिधित्व बढ़ा, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारी की तुलना में कृषक वर्ग अधिक चुन कर आने लगे 1967 में कांग्रेस पार्टी की हार के कारण। राज्य सभा की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण परिवर्तन। आया प्रत्यक्ष चुनावों में हारे हुए राजनीतिज्ञों को राज्य सभा का सदस्य बनाया जाने लगा। जबकि यह भारतीय राजनीति की परम्परा बन चुकी है। एक तरीके से राज्य सभा का अवमूल्यन हुआ है।

संसद की पृष्ठभूमि में दूसरा बदलाव 80 के दशक में आया यह बदलाव था पेशावर राजनीतिज्ञों का

उपर्युक्त रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस विभाजन के पश्चात इंदिरा गांधी की स्थिति कमजोर हुई संजय गांधी के प्रभाव में आकर छात्र राजनीति का आरंभ किया गया युवा कांग्रेस की स्थापना हुई। इस कारण राजनीति से जुड़ने वालों की समय जीवन यापन के आधार (Career) उस समय में राजनीति से जुड़ गये राजनीति की इनका व्यवसाय बन गया लोक सभा में व्यवसायिक राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ी पक्ष एवं विपक्ष में दोनों में ही इस प्रकार का नेतृत्व बढ़ा। जय प्रकाश नारायण द्वारा आरंभ किया गया छात्र आन्दोलन भी उत्तरदायी था।

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में आया परिवर्तन 1989 के पश्चात में आया संसद में गैर कांग्रेसी प्रतिनिधित्व बढ़ा पिछड़े और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। शिक्षित लोग कम हुए। अशिक्षित लोगों में वृद्धि हुई उपरोक्त परिवर्तन को हम आयने सकारात्मक मानना सकता भारत के बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर इंगित करता प्रजातंत्र के प्रसार की ओर इंगित। एक नकारात्मक पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में कमी असफलता और विश्वासहीनता हो। अशिक्षित का परिणाम होने के कारण संसद की गरिमा में गिरावट आयी है।

1990 में अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ा है. राज्य सभा में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो प्रत्यक्ष चुनाव में जीत नहीं सकते परन्तु चुनावों में पार्टियों को सहयोग देने के कारण परिणाम स्वरूप प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य सभा में भेजा जाता है। दलबदल की प्रवृत्ति की समस्या उभर कर सामने आयी। जहाँ तक महिलाओं का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व में खास प्रगति नहीं हुई। उसमें शहरी उच्च वर्गीय महिलाएं ज्यादा रही हैं। यह इंगित करता है समाज में महिलाओं के संदर्भ में शक्ति का वितरण अभी भी न्याय से दूर है।

निष्कर्ष – संसद किसी भी देश समाज का चित्रण करती है भारत के संसदों के कई मायनों में सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है आज राजनीति में उच्च जातिय तथा उच्च शिक्षित वर्ग का एकाधिकार, नहीं है प्रजातंत्र समाज के निचले स्तर तक पहुँच चुका है साथ ही संसद में अपराधी पृष्ठभूमि वाले की उपस्थिति, आधिक्षेत्र प्रतिनिधित्व, महिला की उचित प्रतिनिधित्व का अभाव यह इंगित करता है कि कुछ सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है भारत में ~~[illegible]~~ की नहीं विश्वस्तर पर मूल्यों में ह्रास हुआ व्यवस्था के सम्यक् परिचालन के लिए व्यवस्था की बेहतर बनायें

स्थानों की व्यवस्था की पुर्न प्रतिष्ठा स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि यही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Scanned with CamScanner